

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 2090-128-इक्कीस-अ. ( प्रा. ).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०११

## मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०११

## विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. वृहत् शीर्ष का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ९-ख का अंतःस्थापन.
६. धारा १० का संशोधन.
७. धारा १०-क का संशोधन.
८. धारा १४ का संशोधन.
९. धारा २०-क का संशोधन.
१०. धारा २४-ख का संशोधन.
११. धारा २६ का संशोधन.
१२. धारा २६-क का संशोधन.
१३. धारा ३४ का अंतःस्थापन.
१४. धारा ४२ का संशोधन.
१५. धारा ४६ का संशोधन.
१६. धारा ४७ का संशोधन.
१७. धारा ५३ का संशोधन.
१८. धारा ५६ का संशोधन.
१९. धारा ५७ का संशोधन.
२०. धारा ६१ का संशोधन.
२१. धारा ६३ का स्थापन.
२२. अनुसूची-१ का संशोधन.
२३. अनुसूची-२ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०११

### मध्यप्रदेश वेत ( संशोधन ) अधिनियम, २०११

[दिनांक ३१ मार्च, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३१ मार्च, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) (क) धारा ३(दो) के उपबंध १ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) धारा ७ के उपबंध १ अगस्त, २००९ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) धारा १४ और धारा २२ के खण्ड (दो) तथा (तीन) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(घ) धारा २३ के खण्ड (दो) के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ङ) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त होंगे.

२. मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहत् शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

वृहत् शीर्ष का संशोधन.

“मध्यप्रदेश राज्य में माल के विक्रय तथा क्रय पर कर और भवनों पर कर के उद्ग्रहण हेतु अधिनियम.”

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग क) “भवन निर्माता” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो विक्रय या पट्टे के लिए भवन निर्माण करने का व्यवसाय करता है;”;

(दो) खण्ड (ज क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ज क) “पका हुआ भोजन” से अभिप्रेत है, भोजन तथा स्वल्पाहार जिसमें सम्मिलित है चाय तथा कॉफी, जो होटलों, रेस्तारों और इनके सदृश्य या केटरर द्वारा तैयार तथा परोसा गया हो;”.

(तीन) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(त क) “अधिकृत वेब पोर्टल” से अभिप्रेत है ऐसा वेब पोर्टल जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(त ख) “व्यक्ति” में सम्मिलित है कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और उसमें हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कोई राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और कोई शासकीय उपक्रम भी है;”.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (४) और उपधारा (१२) का लोप किया जाए.

धारा ४ का संशोधन.

धारा ९-ख का  
अंतःस्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

भवनों पर कर.

- “९-ख. (१) (क) प्रत्येक भवन निर्माता उसके द्वारा निर्मित किए गए भवन या किसी भवन के भाग, जो १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् प्रथम बार विक्रय किया जाता है या पट्टे पर दिया जाता है, के पूंजीगत मूल्य पर, पांच प्रतिशत की दर से कर के भुगतान हेतु दायी होगा.
- (ख) यदि किसी भवन का कोई स्थान १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् प्रथम बार पट्टे पर दिया गया है, तो पूरा भवन १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् पट्टे पर दिया गया समझा जाएगा.
- (२) (क) भवन से नियत भूमि का ऐसा मूल्य जैसा कि विहित किया जाए इसके पूंजीगत मूल्य के निर्धारण के लिए इसके भूमि और भवन दोनों के बाजार मूल्य में से कम किया जाएगा.
- (ख) यदि किसी भवन का विक्रय मूल्य उसके बाजार मूल्य से अधिक है, तो इसके पूंजीगत मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए इसका विक्रय मूल्य इसके बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा.
- (३) प्रत्येक भवन निर्माता जो उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी है और जो धारा ९ के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी नहीं है, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, स्वयं को तालिकांकित (एनरोल्ड) कराएगा.
- (४) कोई तालिकांकित (एनरोल्ड) भवन निर्माता और कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो भवनों के निर्माण में उपभोग या उपयोग के लिये मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से, उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय किए गए अनुसूची २ के भाग तीन में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी है, ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.
- (५) ऐसे मालों के संबंध में जैसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, इस धारा के अधीन किसी रिबेट का दावा नहीं किया जाएगा और न ही अनुज्ञात किया जाएगा.
- (६) उपधारा (४) के अधीन रिबेट, उपधारा (१) के अधीन देय कर के विरुद्ध समायोजित की जाएगी.
- (७) इस अधिनियम के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी भवन निर्माता को लागू होंगे.”

धारा १० का  
संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में,—

- (एक) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द और अंक “धारा १६ के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल” के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक “धारा १६ के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल या धारा १४ की उपधारा (१ख) के अधीन अधिसूचित माल” स्थापित किए जाएं;
- (दो) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक “अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट माल” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किसी माल या धारा १४ की उपधारा (१ख) के अधीन अधिसूचित माल” स्थापित किए जाएं.

धारा १०-क का  
संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १०-क में,—

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द “चार प्रतिशत की दर से” के स्थान पर, शब्द “ऐसी दर से जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (७) में, शब्द “चार प्रतिशत की दर से” के स्थान पर, शब्द “उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित दर से” स्थापित किए जाएं.

८. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

धारा १४ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (घ) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१क क) ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्ययीन रहते हुए, जैसे कि विहित किए जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग तीन में विनिर्दिष्ट प्राकृतिक गैस, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है तथा इस प्रकार क्रय की गई प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग करता है और निर्मित माल मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर रिबेट, जो ऐसी प्राकृतिक गैस के क्रय मूल्य, आगत कर के शुद्ध के ५ प्रतिशत से अधिक है, का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.”;

(तीन) उपधारा (३) में कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर “(१) तथा (१ क)” के स्थान पर, कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द “(१), (१ क), (१ कक) तथा (१ ख)” स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (४) में, खण्ड (दो) में, शब्द “भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में” का लोप किया जाए.

९. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द “चालीस” के स्थान पर, शब्द “साठ” स्थापित किया जाए;

धारा २०-क का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २४-ख में, उपधारा (३) में, खण्ड (दो) में, शब्द “कर की सम्पूर्ण रकम” के स्थान पर, शब्द “कर की सम्पूर्ण अविवादित रकम” स्थापित किए जाएं.

धारा २४-ख का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा २६ में, उपधारा (१) में, शब्द “किसी राज्य सरकार” के स्थान पर, शब्द “किसी राज्य सरकार या किसी अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम” स्थापित किए जाएं.

धारा २६ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २६-क में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २६-क का संशोधन.

“(५) क्रेता, उपधारा (१) के अधीन कटौती की गई ऐसी रकम जमा करेगा जो ऐसे क्रयों पर धारा १४ के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय आगत कर रिबेट की रकम से अधिक हो.”.

१३. मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ३४ का अंतःस्थापन.

“३४. (१) जहां धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी की किसी कालावधि के लिए कर निर्धारण/ पुनः कर निर्धारण करने की कार्यवाही में आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया हो, वहां व्यापारी, ऐसे आदेश की तामील या जानकारी की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को आदेश अपास्त करने के लिए तथा उस मामले को पुनः आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक नियत तारीख को उपसंजात होने से पर्याप्त कारणवश निवारित हो गया था, तो वह उस आदेश को, यथाविहित उच्चतर प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, अपास्त कर सकेगा तथा उस मामले को सुनवाई के लिए पुनः आरम्भ कर सकेगा:

एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने की शक्ति.

परन्तु,—

(एक) एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने के लिए कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ कर की उस रकम के, जो कि व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई है, भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न न हो;

(दो) ऐसा कोई आवेदन किसी कार्यवाही के दौरान केवल एक ही बार ग्रहण किया जाएगा.

(२) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश अपास्त कर दिया जाता है और इस धारा के अधीन नवीन कर निर्धारण करने के लिए मामला पुनः खोला जाता है, वहां ऐसा नवीन कर निर्धारण एकपक्षीय आदेश के अपास्त किये जाने की तारीख से छह कलैण्डर मास की कालावधि के भीतर या धारा २० की उपधारा (७) के खण्ड (एक) में अधिकथित कालावधि के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती है, किया जाएगा.”

धारा ४२ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ४२ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) आयुक्त, स्वयं के प्रस्ताव से या किसी व्यापारी द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा ४६ के अधीन किसी भी कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग को (जिसमें इस उपधारा के अधीन पूर्व में अंतरित की गई कार्यवाही सम्मिलित है) धारा ३-क के अधीन नियुक्त किसी अपील प्रार्थिकारी के पास से किसी अन्य अपील प्रार्थिकारी को अंतरित कर सकेगा. ऐसी किसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के अंतरण के बारे में प्रज्ञापना व्यापारी को भेजी जाएगी.”

धारा ४६ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यदि किसी व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई रकम के साथ-साथ, शेष रकम के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम का भुगतान किया जाता है, तो अपील प्रार्थिकारी अतिशेष की वसूली रोक देगा और अपील प्रार्थिकारी छह कलैण्डर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा.”;

(दो) उपधारा (६) में, शब्द “अपील का विनिश्चय होने तक” के स्थान पर, शब्द “धारा ४-क के उपबंधों के अनुसार” स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (७) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु किसी ऐसे मामले में जिसमें कि धारा ३४ के अधीन किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, वहां ऐसा व्यापारी कर निर्धारण के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील वैसी ही रीति में ऐसे आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश की तामीली की तारीख से तीस दिन के भीतर कर सकेगा.”

धारा ४७ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४७ में, उपधारा (१) में, परन्तुक में, खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(तीन) जहां ऐसा आदेश धारा ३४ के अधीन पारित किया जाए.”

१७. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, उपधारा (५) में, शब्द "पचास प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस प्रतिशत" स्थापित किए जाएं। धारा ५३ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ५६ में,—

धारा ५६ का संशोधन.

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "सर्वेक्षण और प्रतिसत्यापन" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) कर का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, आयुक्त, व्यापारियों का सर्वेक्षण और क्रयों का प्रतिसत्यापन करा सकेगा.”;

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द "सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "सर्वेक्षण और प्रतिसत्यापन" स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (४) में,—

(क) शब्द "सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "सर्वेक्षण और प्रतिसत्यापन" स्थापित किए जाएं;

(ख) शब्द "किन्तु वह अरजिस्ट्रीकृत है या उसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है," का लोप किया जाए.

१९. मूल अधिनियम की धारा ५७ में,—

धारा ५७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "रेल परिसरों को अपवर्जित करते हुए," का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और भी कि माल का परिवहन करने वाला परिवहनकर्ता, यदि दस्तावेजों के साथ खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया हुआ घोषणा प्ररूप, जिसका विवरण, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने की तारीख और लगभग समय सहित, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने के पूर्व विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर पूर्णतः प्रविष्ट कराया गया हो, अपने साथ रखता है, तो उसके द्वारा खण्ड (ख) के अधीन की गई अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया समझा जाएगा.”

(तीन) उपधारा (८) में,—

(क) शब्द "सात गुना" और "पांच गुना" के स्थान पर, शब्द "पांच गुना" और "तीन गुना" क्रमशः स्थापित किए जाएं;

(ख) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक तथा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि किसी भी दशा में, शास्ति की रकम माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.”;

**स्पष्टीकरण**—जहां प्रस्तुत स्पष्टीकरण और साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर माल के विक्रय की संभावना नहीं है या माल के संबंध में कर का अपवंचन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, तो यह समझा जाएगा कि उपधारा (२) के उपबन्धों का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है.

- (चार) उपधारा (१७) में, शब्द “तीन गुना” के स्थान पर, शब्द “दो गुना” स्थापित किए जाएं;
- (पांच) धारा के स्पष्टीकरण में,—
- (क) खण्ड (एक) में, शब्द “परिवहन का कोई भी साधन” के स्थान पर, शब्द “परिवहन का कोई भी साधन, रेलवे सहित,” स्थापित किए जाएं;
- (ख) खण्ड (दो) को खण्ड (तीन) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (तीन) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
- “(दो) ‘परिवहनकर्ता’ में सम्मिलित है ऐसे माल का वहन करने वाले यान का स्वामी, चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो, संस्था, सोसाइटी हो या कंपनी हो, और ऐसे स्वामी का प्रबंधक, यदि कोई हो; और.”

धारा ६१ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यदि व्यापारी दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में ऐसी घोषणा, जिसका विवरण विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पर परिदान लेने के पूर्व पूर्णतः प्रविष्ट कराया गया हो, अपने साथ रखता है, तो उसके द्वारा ऊपर की गई अपेक्षा का अनुपालन किया गया समझा जाएगा.”

धारा ६३ का स्थापन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जानकारी मंगाने की शक्ति.

“६३. (१) आयुक्त या उसे सहायता देने के लिए धारा ३ के अधीन नियुक्त किया गया सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नगरपालिका और नगर निगम, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बैंककारी या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों या बीमा कम्पनियों से या उनके किसी अधिकारी से, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन की गई अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां आयुक्त, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उसे शास्ति के रूप में रुपये पचास प्रतिदिन की राशि, अधिकतम रुपये पांच हजार के अध्वधीन रहते हुए भुगतान करने का निदेश दे सकेगा.”

अनुसूची १ का संशोधन.

२२. मूल अधिनियम की अनुसूची १ में,—

- (एक) अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (२) में, शब्द “तेल रहित खली जिसमें सोयामील और कपास्या खली सम्मिलित हैं” के स्थान पर, शब्द “तेल रहित खली जिसमें सोयामील सम्मिलित है, कपास्या खली और सरसों खली” स्थापित किए जाएं;
- (दो) अनुक्रमांक ४८ के सामने कालम (२) में, शब्द “जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९८५ (१९८६ का ५) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है या उद्ग्रहणीय है” के स्थान पर, शब्द “जिन पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय था, किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है” स्थापित किए जाएं;



- (तीन) अनुक्रमांक ४९ के सामने कॉलम (२) में, शब्द “जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९८५ (१९८६ का ५) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जाता है या उद्ग्रहणीय है” के स्थान पर, शब्द “जिन पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय था, किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है” स्थापित किए जाएं;
- (चार) अनुक्रमांक ५८ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “स्व-सहायता समूहों द्वारा” के स्थान पर, शब्द “किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या स्व-सहायता समूहों द्वारा” स्थापित किए जाएं;
- (पांच) अनुक्रमांक ८५ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“८६. किसी स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय से प्राप्त किए गए ठोस अपशिष्ट से बनाया गया ईंधन.

८७. पंचामृतम, नमाकट्टी और विभूति.”

२३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, भाग-दो में,—

अनुसूची २ का संशोधन.

- (एक) अनुक्रमांक ५ क के सामने कॉलम (२) में, अंक “१००” के स्थान पर, अंक “१५०” स्थापित किया जाए;
- (दो) अनुक्रमांक ५ (ख), २७, ३०, ३४ (क), ८४ और १०६ के सामने, कॉलम (३) में अंक “४” के स्थान पर, अंक “५” स्थापित किया जाए;
- (तीन) अनुक्रमांक २० के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“२० क. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट को डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के विरुद्ध विक्रय किया गया कैन्टीन स्टोर्स ४”;

- (चार) अनुक्रमांक २२ में, कॉलम (२) में, शब्द “तथा उनके पुर्जे” के स्थान पर, शब्द “तथा उनके पुर्जे, फुट वॉल्व” स्थापित किए जाएं;
- (पांच) अनुक्रमांक २९ में, कॉलम (२) में, शब्द “कप और गिलास” के स्थान पर, शब्द “कप, गिलास, प्लेट, कटोरी (दोना-पत्तल) और चम्मच” स्थापित किए जाएं;

(छः) अनुक्रमांक ३१ में, कॉलम (२) में, शब्द “कपास्या खली को अपवर्जित करते हुए” के स्थान पर, शब्द “कपास्या खली और सरसों खली को अपवर्जित करते हुए” स्थापित किए जाएं;

(सात) अनुक्रमांक ११० में, सामने कॉलम (२) में, प्रविष्टि क्रमांक ११ का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 2091-128-इक्कीस-अ. (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 10 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2011

TABLE OF CONTENTS

**Sections :**

1. Short title and commencement.
2. Substitution of long title.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 4
5. Insertion of Section 9-B
6. Amendment of Section 10
7. Amendment of Section 10-A.
8. Amendment of Section 14.
9. Amendment of Section 20-A
10. Amendment of Section 24-B
11. Amendment of Section 26
12. Amendment of Section 26-A
13. Insertion of Section 34.
14. Amendment of Section 42
15. Amendment of Section 46.
16. Amendment of Section 47.
17. Amendment of Section 53.
18. Amendment of Section 56.
19. Amendment of Section 57.
20. Amendment of Section 61.
21. Substitution of Section 63.
22. Amendment of Schedule I
23. Amendment of Schedule II.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 10 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2011

Received the assent of the Governor on the 31st March, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st March, 2011.

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty Second year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2011.

**Short title and commencement.**

(2) (a) The provision of Section 3 (ii) (a) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2010.

(b) The provision of Section 7 shall be deemed to have come into force from 1st August, 2009.

(c) The provision of Section 14 and clause (ii) and (iii) of Section 22 shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006.

(d) The provisions of clause (ii) of Section 23 shall come into force from such date as the State Government may, by notification, appoint.

(e) The remaining provisions of this amending Act shall come into force from 1st April, 2011.

2. For long title of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following long title shall be substituted, namely :—

**Substitution of long title.**

“An Act to levy tax on sale and purchase of goods and tax on building in the State of Madhya Pradesh.”

3. In Section 2 of the principal Act,—

**Amendment of Section 2.**

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ca) “Builder” means a person who carries on the business of constructing buildings for sale or lease;”;

(ii) in clause (ha),—

(a) for the word “meals”, the words “meals and snacks” shall be substituted; and

(b) for the words “and the like”, the words “and the like, and caterer” shall be substituted;

(iii) after clause (p), the following clauses shall be inserted, namely :—

“(pa) “Official web portal” means the web portal as the State Government may, by notification, specify;

(pb) “Person” includes any company or association or body of individuals whether incorporated or not, and also a Hindu undivided family, a firm, a local authority, a State Government, the Central Government and a Government Undertaking;”.

- Amendment of Section 4.** 4. In Section 4 of the Principal Act, sub-section (4) and sub-section (12) shall be deleted.
- Insertion of Section 9-B.** 5. After Section 9-A of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—
- Tax on buildings.** “9-B. (1) (a) Every builder shall be liable to pay tax on the capital value of the building or part of a building constructed by him and sold or leased for the first time on or after 1st April, 2011 at the rate of five percent.
- (b) If any part or space of a building is leased for the first time on or after 1st April, 2011, then the entire building shall be deemed to have been leased for the first time on or after 1st April, 2011.
- (2) (a) Such value of land, as may be prescribed, assigned to the building shall be deducted from its market value of both land and building to determine its capital value.
- (b) If the sale price of a building is more than its market value, then its sale price will be taken as its market value for the purpose of determining its capital value.
- (3) Every builder liable to pay tax under sub-section (1) and who is not liable to pay tax under Section 9, shall get himself enrolled in the manner as may be prescribed.
- (4) An enrolled builder and a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (1), in respect of goods specified in Schedule II other than those specified in Part III of the said Schedule purchased within the State of Madhya Pradesh from a registered dealer after payment to him input tax for consumption or use in the construction of buildings, shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.
- (5) No rebate under this section shall be claimed or be allowed in respect of the goods as the State Government may, by notification, specify.
- (6) The rebate under sub-section (4) shall be adjusted towards the tax payable under sub-section (1).
- (7) The provisions of this Act shall *mutatis mutandis* apply to a builder who is liable to pay tax under sub-section (1).”
- Amendment of Section 10.** 6. In Section 10 of the Principal Act, in sub-section (1),—
- (i) in clause (b), in sub-clause (i), for the words and figure “goods declared tax free under Section 16”, the words, figures and bracket “goods declared tax free under Section 16 or the goods notified under sub-section (1B) of Section 14” shall be substituted;
- (ii) in clause (c), for the words and figure “any goods specified in Schedule II”, the words, figures and bracket” any goods specified in Scheduled II or the goods notified under sub-section (1B) of Section 14” shall be substituted.
- Amendment of Section 10-A.** 7. In Section 10-A of the Principal Act,—
- (i) in sub-section (1), for the words “at the rate of four percent”, the words “at the rate as may be notified by the State Government” shall be substituted;

(ii) in sub-section (7), for the words “at the rate of 4 percent”, the words “at the rate notified under sub-section (1)” shall be substituted.

8. In Section 14 of the Principal Act,—

**Amendment of Section 14.**

(i) in sub-section (1), clause (d) shall be omitted;

(ii) after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(1AA) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases natural gas as specified in Part III of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax and consumes the natural gas so purchased as fuel in manufacture or processing of goods and the goods manufactured are sold within the State of Madhya Pradesh or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax which is in excess of 5 percent of the purchase price, net of input tax, of such natural gas.”;

(iii) in sub-section (3), for the bracket, figure, word and letter“(1) and (1A)”, the bracket, figure, letters and word “(1), (1A), (1AA) and (1B) ” shall be substituted;

(iv) in sub-section (4), in clause (ii), the words “in the course of export out of the territory of India” shall be omitted.

9. In Section 20-A of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (i) for the words “ forty”, the word “sixty” shall be substituted.

**Amendment of Section 20-A.**

10. In Section 24-B of the Principal Act, in sub-section (3), in clause (ii), for the words “ the full amount of tax”, the words “ the full undisputed amount of tax” shall be substituted.

**Amendment of Section 24-B.**

11. In Section 26 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words “ a State Government”, the words “ a State Government or a notified public sector undertaking” shall be substituted.

**Amendment of Section 26.**

12. In Section 26-A of the Principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

**Amendment of Section 26-A.**

“(5) The purchaser shall deposit the amount deducted under sub-section (1) which is over and above the amount of input tax rebate notionally admissible under section 14 on such purchases.”.

13. After Section 33 of the Principal Act, the following new Section shall be inserted, namely:—

**Insertion of Section 34.**

“34 (1) Where in the proceedings for assessment/reassessment of any dealer referred to in clause (a) of sub-section (4) of Section 20 for any period, an order is passed *ex-parte* the dealer may, within thirty days from the date of service of such order apply to the assessing authority to set aside the order and reopen the case and if the assessing authority is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, he may, with a prior permission of higher authority as may be prescribed, set aside the order and reopen the case for hearing;

**Power to set aside an ex-parte order.**

Provided that—

- (i) no application for setting aside an ex-parte assessment order shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of the amount of tax admitted by the dealer;
- (ii) such an application shall be entertained only once in the course of such proceeding.

(2) Where an order of ex-parte assessment of a registered dealer is set-aside and case reopened under this section for making a fresh assessment, such fresh assessment shall be made within a period of six calendar months from the date of setting aside the ex-parte order of assessment or within the period laid down in clause (i) of sub-section (7) of Section 20, whichever is later.”.

**Amendment of Section 42.**

14. In Section 42 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) The Commissioner, either on his own motion or on an application made by a dealer, may, by order in writing, transfer any proceeding or class of proceedings under Section 46 (including the proceeding already transferred under this sub-section) from an Appellate Authority appointed under Section 3-A to any other Appellate Authority. Intimation about the transfer of any such proceeding or proceedings shall be sent to the dealer.”.

**Amendment of Section 46.**

15. In Section 46 of the Principal Act,—

(i) after sub-section (5), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that if in addition to the amount admitted, an amount equal to twenty five percent of the remaining amount is paid by a dealer, the Appellate Authority shall stay the recovery of the balance and the Appellate Authority shall dispose of the appeal within six calendar months.”;

(ii) in sub-section (6), for the words “till the decision of appeal”, the words “in accordance with the provisions of Section 4-A” shall be substituted;

(iii) in sub-section (7), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in a case where an application made under Section 34 is rejected, such dealer may in the like manner appeal against the ex-parte order of assessment, within thirty days from the date of service of order rejecting such application.”.

**Amendment of Section 47.**

16. In Section 47 of the Principal Act, in sub-section (1), in proviso, after clause(ii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iii) where such order is passed under Section 34.”.

**Amendment of Section 53.**

17. In Section 53 of the Principal Act, in sub-section (5), for the words “fifty percent”, the words “twenty five percent” shall be substituted.

**Amendment of Section 56.**

18. In Section 56 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading, for the word “Survey”, the words “ Survey and cross-verification” shall be substituted;

(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) With a view to ensure tax compliance, the Commissioner may undertake survey of dealers and cross-verification of purchases.”;

(iii) in sub-section (2), for the word “survey” the words “survey and cross-verification” shall be substituted;

(iv) in sub-section (4),—

(a) for the word “survey”, the words “survey and cross-verification” shall be substituted;

(b) the words “but is unregistered or has not applied for grant of the certificate of registration,” shall be omitted.

19. In Section 57 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), the words “excluding railway premises,” shall be omitted;

Amendment of  
Section 57.

(ii) in sub-section (2), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that if the transporter transporting goods carries with him an electronically issued declaration form specified in clause(a), particulars of which including date and approximate time of entering the State of Madhya Pradesh, have been uploaded completely on the official web portal of the department before entering the State of Madhya Pradesh, alongwith the documents, he shall be deemed to have complied with the requirement made under clause (b).”;

(iii) in sub-section (8),-

(a) for the words “seven times” and “five times”, the words “five times” and “three times” shall respectively be substituted;

(b) after the proviso, the following proviso and explanation shall be inserted, namely:—

“Provided further that in any case, the amount of penalty shall not be more than fifty percent of the value of goods.

**Explanation.**—Where the explanation submitted lead to the conclusion that there is no possibility of sale of goods within the State of Madhya Pradesh or there was no attempt to evade tax in respect of the goods, it shall be deemed that no violation of the provisions of sub-section(2) has taken place.”;

(iv) in sub-section (17), for the words “three times”, the words “twice” shall be substituted;

(v) in Explanation to the section,—

(a) in clause (i), for the words “any means of transportation”, the words “any means of transportation, including railway,” shall be substituted;

(b) clause (ii) shall be renumbered as clause (iii) and before clause (iii) as so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:—

“(ii) ‘transporter’ shall include the owner of the vehicle carrying the goods, whether an individual, a firm, association, society or company, and the manager, if any, of such owner; and”.

**Amendment of Section 61.**

20. In Section 61 of the Principal Act, in sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that if the dealer carries with him a declaration in prescribed form, particulars of which have been uploaded completely on the official web portal of the department before taking delivery, alongwith the documents, he shall be deemed to have complied with the requirement made above.”.

**Substitution of Section 63.**

21. For Section 63 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

**“63. Power to call for information.**

(1) The Commissioner of any other person appointed under section 3 to assist him, not below the rank of an Assistant Commercial Tax officer may, for carrying out the purposes of this Act, require any department of Central or the State Government, public Sector Undertaking, Municipality and Municipal Corporation, Authority constituted under any law for the time being in force, Company registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), Mandi Board, banking or non-banking financial companies or insurance companies, or any officer thereof to furnish any information or statement useful for or relevant to any proceeding under this Act.

(2) Where a person fails to comply with the requirement made under sub-section (1), the Commissioner may, after giving such person an opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum of rupees fifty per day, subject to a maximum of rupees five thousand.”.

**Amendment of Schedule I.**

22. In Schedule I to the Principal Act,—

- (i) against serial number 3, in column (2), for the words “de-oiled cake including soyameal and cotton seed oil cake,” the words “de-oiled cake including soyameal, cotton seed oil cake and mustard oil cake” shall be substituted;
- (ii) against serial number 48, in column (2), for the words “on which additional excise duty is levied or leviabale under the Central Excise Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986)”, the words “on which additional excise duty was leviabale, but exempted by the Government of India” shall be substituted;
- (iii) against serial number 49, in column (2), for the words “on which additional excise duty is levied or leviabale under the Central Excise Trariff Act, 1985 (No. 5 of 1986)”, the words “on which additional excise duty was leviabale, but exempted by the Government of India” shall be substituted;
- (iv) against serial number 58 A, in column (2), for the words “ by Self Help Groups”, the words “by a registerd dealer as may be notified by the State Government or Self Help Groups” shall be substituted;
- (v) after serial number 85, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“86. Fuel made from solid waste procured from any Local Self Government Body.

87. Panchamritam, namakatti and vibhuti.”.



## 23. In Schedule II to the Principal Act, in part-II—

Amendment of  
Schedule II.

- (i) in serial number 5A, in column (2), for the figure “100”, the figure “150” shall be substituted;
- (ii) against serial numbers 5(b), 27, 30, 34 (a), 84 and 106, in column (3), for the figure “4”, the figure “5” shall be substituted;
- (iii) after serial number 20, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—
- “20 A. Canteen stores sold by a registered dealer to the Canteen Stores Department against a certificate issued by the department. 4”;
- (iv) in serial number 22, in column (2), for the words “and parts thereof”, the words “and parts thereof, and foot valve” shall be substituted;
- (v) in serial number 29, in column (2), for the words “Cups and glasses”, the words “Cups, glasses, plates, bowls (Dona-Pattal) and spoons” shall be substituted;
- (vi) in serial number 31, in column (2), for the words “excluding cotton seed oil cake”, the words “excluding cotton seed oil cake and mustard oil cake” shall be substituted;
- (vii) against serial number 110, in column (2), the entry number 11 shall be omitted.